संख्या:- /XVII-2/20-10(29)2020

प्रेषक,

एल॰फैनई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 16 फरवरी, 2020

विषय:–वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2739/स॰क॰/PMAGY/मांग–प्रस्ताव/2020–21 दिनांक 14 जनवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत **₹234.00 लाख (रुपया दो करोड़ चौंतीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय।
4. आवंटित धनराशि का आहरण और व्यय, मासिक अथवा किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
5. बी॰एम॰–8 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनायें नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।
7. **किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2225–01–102–01–01 की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

(अलोटमेन्ट आई.डी. संख्या-SP1020300032 दिनांकः 16 जनवरी 2021)

भवदीय,

(एल.फैनई)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–135/XVII–2/20–10(29)2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

16/01/21

(एल.फैनई)
सचिव।

2019-20